

प्रेस नोट -थाना राजघाट ,गोरखपुर दिनांक 14.07.2022

नाबालिक के अपहरण के आरोप में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी" के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में व पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी कोतवाली के कुशल पर्यवेक्षण में व थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 13.07.2022 को थाना क्षेत्र में अपराध की रोकथाम के दृष्टिगत चौकी प्रभारी अनूप कुमार मिश्र द्वारा पीड़िता को बरामद करते हुए अपहरण में वांछित अभियुक्त विजय निषाद उर्फ रोहन पुत्र राजेंद्र निषाद निवासी महेवा थाना रामगढ़ ताल जिला गोरखपुर को समय करीब 20:15 बजे बर्फ खाना के पास से गिरफ्तार किया गया । जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 139/2022 धारा 363,366 भारतीय दंड विधान का अभियोग पंजीकृत किया है। अभियुक्त को न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

विजय निषाद उर्फ रोहन पुत्र राजेंद्र निषाद निवासी महेवा थाना रामगढ़ ताल जिला गोरखपुर

गिरफ्तारी का स्थान एवं समय:-

बर्फ खाना के पास समय : 20:15 बजे

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1.मु.अ. सं.139/22 धारा 363,366 आईपीसी थाना राजघाट गोरखपुर
- 2.मु.अ.सं.1067/20 धारा 363,366,504,506,376(3)भारतीय दंड विधान,3(2)(5)एस सी/एस टी एक्ट व 5/6 पॉस्को एक्ट थाना राजघाट गोरखपुर।

गिरफ्तारी करने वाली टीम :-

- 1-उपनिरीक्षक अनूप कुमार मिश्र थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
- 2-कां.मंगलदीप यादव थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
- 3-कां. देवेन्द्र कुमार थाना राजघाट जनपद गोरखपुर